न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1223/2024

अनवान : –

1. सरवन पत्नी नत्थुराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2. गोपीराम पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3. राजबाला पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
4. हवासिंह पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 17/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 697/240 की कुल 6.1340 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 201/192 की कुल 10.2830 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वीरसिंह व नत्थुराम पुत्रगण रामचन्द्र दोनो भाई थे एवं वीरसिंह की शादी सरवन से हुई थी व वीरसिंह की शादी बाल्यकाल में हुई थी बाल्यकाल में ही फौत हो गये तब सरवन का करेवा उसके भाई नत्थुराम से करवा दिया गया एवं सरवन ने नत्थुराम की चुड़ी पहन ली एवं सरवन पत्नी नत्थुराम को उसके नुत्फे से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 वारिसान उत्पन्न हुए व वादग्रस्त भूमि में सरवन के नाम वीरसिंह की भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज हो गयी एवं नत्थुराम के फौतदगी के बाद उनके नाम दर्ज भूमि में 1/10 हिस्सा विरासतन तौर से दर्ज हो गया।

रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 697/240 की कुल 6.1340 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 201/192 की कुल 10. 2830 हैक्ट भूमि में वादीया के नाम अलग अलग 1/4 हिस्सा सरवन पत्नी नत्थुराम एवं 1/2 हिस्सा सरवन पत्नी वीरसिंह दर्ज है एवं वादिया वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज करवाना चाहती है, ताकि समय समय पर राजय व केन्द्र सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है इसलिए रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 697/240 की कुल 6.1340 [illegible] संयुक्त रूप से वादिया अकेली 3/5 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 1[illegible] के खाता स0 201/192 की कुल 10. 2830 हैक्ट भूमि में वादीया अकेली [illegible] खातेदार काश्तकार [illegible] एवं जमाबंदी से सरवन पत्नी वीरसिंह का नाम कलमजन करवाकर वादीया न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारिणी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 19:03:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वीरसिंह व नत्थुराम पुत्रगण रामचन्द्र दोनो भाई थे एवं वीरसिंह की शादी सरवन से हुई थी व वीरसिंह की शादी बाल्यकाल में हुई थी बाल्यकाल में ही फौत हो गये तब सरवन का करेवा उसके भाई नत्थुराम से करवा दिया गया एवं सरवन ने नत्थुराम की चुड़ी पहन ली एवं सरवन पत्नी नत्थुराम को उसके नुत्फे से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 वारिसान उत्पन्न हुए व वादग्रस्त भूमि में सरवन के नाम वीरसिंह की भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज हो गयी एवं नत्थुराम के फौतदगी के बाद उनके नाम दर्ज भूमि में 1/10 हिस्सा विरासतन तौर से दर्ज हो गया। रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 697/240 की कुल 6.1340 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 201/192 की कुल 10.2830 हैक्ट भूमि में वादीया के नाम अलग अलग 1/4 हिस्सा सरवन पत्नी नत्थुराम एवं 1/2 हिस्सा सरवन पत्नी वीरसिंह दर्ज है एवं वादिया वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज करवाना चाहती है, ताकि समय समय पर राजय व केन्द्र सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है इसलिए रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 697/240 की कुल 6.1340 हैक्ट भूमि तक वादिया संयुक्त रूप से वादिया अकेली 3/5 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता [illegible]/192 की कुल 10.2830 हैक्ट भूमि में वादीया अकेली 3/5 हिस्सा भूमि के [illegible] है एवं जमाबंदी से सरवन पत्नी वीरसिंह का नाम कलमजन करवाकर वादीया न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारिणी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 19:03:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 697/240 की कुल 6.1340 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 201/192 की कुल 10.2830 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया का कथन है कि वीरसिंह व नत्थुराम पुत्रगण रामचन्द्र दोनो भाई थे एवं वीरसिंह की शादी सरवन से हुई थी व वीरसिंह की शादी बाल्यकाल में हुई थी बाल्यकाल में ही फौत हो गये तब सरवन का करेवा उसके भाई नत्थुराम से करवा दिया गया एवं सरवन ने नत्थुराम की चुड़ी पहन ली एवं सरवन पत्नी नत्थुराम को उसके नुत्फे से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 वारिसान उत्पन्न हुए व वादग्रस्त भूमि में सरवन के नाम वीरसिंह की भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज हो गयी एवं नत्थुराम के फौतदगी के बाद उनके नाम दर्ज भूमि में 1/10 हिस्सा विरासतन तौर से दर्ज हो गया। रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 697/240 की कुल 6.1340 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 201/192 की कुल 10.2830 हैक्ट भूमि में वादीया के नाम अलग अलग 1/4 हिस्सा सरवन पत्नी नत्थुराम एवं 1/2 हिस्सा सरवन पत्नी वीरसिंह दर्ज है एवं वादिया वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज करवाना चाहती है, ताकि समय समय पर राजय व केन्द्र सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है इसलिए रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 697/240 की कुल 6.1340 हैक्ट भूमि तक वादिया संयुक्त रूप से वादिया अकेली 3/5 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 201/192 की कुल 10.2830 हैक्ट भूमि में वादीया अकेली 3/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं जमाबंदी से सरवन पत्नी वीरसिंह का नाम कलमजन करवाकर वादीया न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारिणी है, वादीया के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 19:03:23 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 697/240 की कुल 6.1340 हैक्ट भूमि में वादीया का संयुक्त रूप से 3/5 हिस्सा भूमि का तथा रोही मौजा चक 11 बारानी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसील नोहर के खाता स0 201/192 की कुल 10.2830 हैक्ट भूमि में वादीया अकेली को 3/5 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खातों से सरवन पत्नी वीरसिंह का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 19:03:23 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1223/2024

अनवान : –

1. सरवन पत्नी नत्थुराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2. गोपीराम पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3. राजबाला पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
4. हवासिंह पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1223 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 697/240 की कुल 6.1340 हैक्ट भूमि में वादीया का संयुक्त रूप से 3/5 हिस्सा भूमि का तथा रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 201/192 की कुल 10.2830 हैक्ट भूमि में वादीया अकेली को 3/5 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खातों से सरवन पत्नी वीरसिंह का नाम कलमजन किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 19:03:23 IST
Reason: SelfAttested